46

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 475/1995 विरूद्ध आदेश दिनांक 13-2-1995 - पारित - व्दारा - आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर - प्रकरण कमांक 20/1992-93 निगरानी

1- महिला कमला पुत्री स्व0मोतीलाल
पत्नि बद्रीलाल ग्राम इन्द्रपुरा
तहसील श्योपुर कलॉ तत्समय जिला मुरैना
2- महिला दमयन्ती पत्नि स्व.नवल किशोर धाकड़
3- महिला कस्तूरीवाई पत्नि गिर्राज प्रसाद धाकड़
निवासी ग्राम अजापुरा तहसील श्योपुर कलॉ

तत्का.जिला मुरैना वर्तमान जिला श्योपुर --आवेदकगण

विरूद्ध

1- म0प्र0शासन
2- हेमन्त
3- मनीशकुमार
4- बेबू तीनों अल्पवयस्क पुत्रगण स्व.नवलकिशोर
5- कु.गिरजा 6- कु.नीतू 7- कु.मैना 8- कु.बीनी
सभी अवयस्क पुत्रियॉ स्व.नवलकिशोर
9- श्रीमती अमयन्ती पत्नि स्व.नवलकिशोर
अल्पवयस्क पुत्र/पुत्रियों की संरक्षिका
सभी निवासी ग्राम अजापुरा तहसील श्योपुर
तत्समय जिला मुरैना वर्तमान जिला श्योपुर --अनावेदकगण

(अपीलांट्स की ओर से अभिभाषक श्री ए0के0अग्रवाल)
(शासन की ओर से पैनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 8 - 6 - 2016 को पारित)

आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 20/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-2-1995 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 42 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) श्योपुर के न्यायालय मे मृतक धारक मोतीलाल के विरूद्ध म0प्र0 कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 (आगे जिसे अधिनियम सम्बोधित किया गया है) के अंतर्गत पात्रता से अधिक भूमि धारण करने के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा धारक के मृत होने से उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेते हुये आदेश पारित किया एंव अधिनियम के अंतर्गत 68.230 एकड़ सूखी भूमि अतिशेष घोषित की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि व्यवहार न्यायालय की डिकी के अनुसार अलग अलग धारक मानते हुये प्रथक प्रथक प्रकरण स्थापित कर पुनः सुनवाई की जावे।

अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने तद्नुसार कार्यवाही कर पुनः भूमि अतिशेष घोषित की। इससे दुखी होकर महिला कानी पत्नि मोतीलाल धाकड़ ने अपर कलेक्टर श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 13-2-83 से स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सिविल न्यायालय की डिकीयों में दर्शाई सम्बन्धित भूमि कम करने के वाद यदि निर्धारित सीमा से अधिक भूमि बचती है, तद्नुसार कार्यवाही की जावे। सक्षम अधिकारी ने प्रकरण कमांक 3/1984-85 अ 90 (बी-3) पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 11-6-86 पारित किया तथा 10.194 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की गई। इस आदेश के विरूद्ध महिला कानी पत्नि मोतीलाल धाकड़ एंव कमला पुत्री मोतीलाल ने अपर कलेक्टर श्योपुर के समक्ष अपील कमांक 34/85-86 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 30-1-88 से निरसत कर सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 11-6-86 स्थिर रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, चम्बल संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 20/92-93

निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-2-1995 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि भूमि सर्वे कमांक 116 रकबा 38 वीघा 15 विसवा, सर्वे कमांक 54 रकबा 52 वीघा 10 विसवा एंव सर्वे कमांक 116/1 मिन 2 भाग 1 का रकबा 4.128 तथा सर्वे कमांक 197 के मिन रकबा 3 वीघा 14 विसवा और सर्वे कमांक 294 के मिन रकबा 4 वीघा 19 विसवा कुल 32 वीघा भूमि महिला कानी के खातों में से ग्राम अजापुर के भूमि सर्वे कमांक 54 में से मिन रकबा 4.800 मृतक धारक के वारिसान को धारा 9 कृषि सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत अतिशेष घोषित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित निर्णयों को इन्हीं कारणों से निरस्त किया जावे।

5/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव आयुक्त, चम्बल संभाग,ग्वालियर के आदेश दिनांक 13-2-95, अपर कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 30-1-88 तथा सक्षम अधिकारी के प्रकरण कमांक 3/1984-85 अ 90 (बी-3) में पारित आदेश दिनांक 11-6-86 का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि महिला कानी का पुत्र नवल किशोर है जिसकास्वर्गवास हो चुका है मृतक नवलकिशोर की वारिस आवेदक कमांक 2 एंव अनावेदक कमांक 2 से 8 हैं जिनका अधिनियम से प्रभावित भूमि में जन्मजात हक है परन्तु तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उनकी पात्रता पर विचार नहीं किया है। मृतक नवल किशोर की पात्रता पर विचार करते हुये आदेश पारित किये है, जबकि अधिनियम की धारा 11 की व्याख्या करते हुये चुन्नीलाल विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य 1978 रा0

नि0 301 में बताया गया है कि धारक की मृत्यु होने पर प्रकरण समाप्त कर देना चाहिये तथा उसके बैधानिक उत्तराधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण नये सिरे से प्रारंभ करना चाहिये।

6/ अपर कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 30.1.88 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने मान0 व्यवहार न्यायालयों की डिक्रीयों वावत् इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

" सिविल कोर्ट की डिक्री अंतरण की परिभाषा में नहीं आती है इस कारण सक्षम अधिकारी जांच हेतु सक्षम नहीं है। यह न्यायालय इस तर्क से सहमत नहीं है..... धारा-5 में ऐसे सभी अंतरणों पर प्रतिबंध लगाया गया है चाहे वह विक्रय (जिसमें व्यवहार न्यायालय की डिक्री हो अथवा अन्य किसी बैध प्राधिकार के पंच निर्णय अथवा आदेश के निष्पादन मे होने वाला विक्रय सम्मिलित है) के रूप में हो। तात्पर्य यह है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण कमांक 81/1975 ई0दी0 में स्वत्व घोषणा वावत् पारित डिक्री, प्रकरण कमांक 82/1975 में पारित डिक्री को अमान्य किया गया है। कुमारी देवी विरूद्ध म0प्र0 राज्य 1983 राजस्व निर्णय 274 (पूर्णपीठ) का न्यायिक दृष्टांत है कि जहां धारक की मृत्यु हो गई हो वहां उसके व्दारा किये गये अंतरण की जांच नहीं की जा सकती। इसी प्रकार कुंजविहारी लाल विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 1983 रा0नि0 453 एंव बृजविहारी लाल विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 1980 रा0नि0 190 (पूर्णपीठ) में व्यवस्था दी गई है कि व्यवहार न्यायालय से केताओं के पक्ष में पारित आज्ञप्ति की भूमि धारक के साथ जोड़ी नहीं जा सकती। व्यवहार न्यायालय की घोषणात्मक आज्ञप्ति को सक्षम प्राधिकारी व्यर्थ घोषित नहीं कर सकते (सुरेन्द्र कुमार विरूद्ध म0प्र0राज्य 1978 रा0नि0 10 से अनुसरित), परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने दन तथ्यों की अनदेखी करते हुये माननीय व्यवहार न्यायालय व्दारा पारित आज्ञप्तियों में अंकित भूमियों को भी धारक के खाते में जोड़ते हुये भूमि की गणना करने में भूल की है जिसके कारण

तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश स्थिर रख जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 20/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-2-1995 , अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 34/85-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-1-88 तथा सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 3/1984-85 अ 90 (बी-3) में पारित आदेश दिनांक 11-6-86 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) श्योपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि मूल धारक के सभी वारिसान एंव मूल धारक व्दारा धारित की गई समस्त भूमियों के वर्तमान अभिलिखित भूमिस्वामियों को रिकार्ड पर लिया जाय एंव उनके विरूद्ध प्रथक प्रथक प्रकरण कायम कर समस्त हितबद्धों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर